प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद- इटावा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4736/प्रो0अनु0(2)-287/2025 (बैठक दिनांक 30.01.2025), दिनांक 03.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम, पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा नहीं करने की बात पर बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० शीला व रामप्रकाश नामक 02 व्यक्तियों की बंदूक व आग्नेयशास्त्र से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को 1-एस०टी०नं0-41/2006, धारा-148, 302/149 आईपीसी के अन्तर्गत मा० अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2-एस०टी०नं0-166/2004 धारा-302 आईपीसी के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, इटावा के आदेश दिनांक 05.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 26.01.2025 तक प्रथम केस में अपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 04 माह, 25 दिन की सजा भोगी जा चुकी है। द्वितीय केस में दिनांक 25.04.2022 तक अपरिहार 11 वर्ष, 09 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 26.01.2025 तक 58 वर्ष, 02 माह, 17 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा अपनी आख्या में अंकन किया गया है कि बंदी के पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना है एवं बंदी के समयपूर्व रिहा होने से विपक्षीगणों के परिजनों में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है एवं किसी भी अप्रिय घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या उपलब्ध कराते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 23.08.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा नहीं करने की बात पर बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० शीला व रामप्रकाश नामक 02 व्यक्तियों की बंदूक व आग्नेयशास्त्र से गोली मारकर हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक्

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में मय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 के द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ सतेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-25788) पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1165/2025/622(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।